IJAER/ March-April 2024/Volume-13/Issue-2 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research
(Peer-Reviewed, Open Access, Fully Refereed International Journal) Impact Factor:7.06

सिरमौर रियासत की महिलाओं का भारत की स्वतंत्रता में योगदान

डॉ० विनय कुमार शर्मा
सहायक आचार्य, इतिहास विभाग
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला।

सारांश

भारत ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के विरुद्ध लगभग 200 वर्षो तक जो संघर्ष किया वह विश्व इतिहास का अविस्मरणीय अध्याय है। विदेशी शासकों की दमनकारी नितियों के विरुद्ध भारत की आम जनता और बुद्धिजीवियों ने जो साहस तथा शौर्य प्रदर्शित किया, वह अद्‌भुत था। जब भारत में स्वतंत्रता की लहर उत्पन्न हुई तो इसकी प्रतिध्वनि पहाड़ी रियासतों में भी गुंजी। हिमाचल प्रदेश की सिरमौर रियासत के लोगों का भी स्वतंत्रता संग्राम में अपना इतिहास है, जो यहां कि भौगोलिक स्थितियों के दृष्टिगत भारतीय स्वाधीनता संघर्ष में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आजादी के लिये लड़े गए विभिन्न आंदोलनों में सिरमौर रियासत की महिलाओं की एक सक्रिय भागीदारी रही है। महिलाओ ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निभाई। ये महिलाएं न केवल पुरुषों की प्रेरणा का स्त्रोत रही बल्कि साथ ही उनकी अनुपस्थिति में घर–परिवार को भी संभाला। हॉलांकि स्वतंत्रता संग्राम में यहां की महिलाओं की संख्या काफी कम थी। यह एक विचारणीय विषय है कि चर्चित महिलाओं में भी अधिकतर या तो किसी क्रांतिकारी की पत्नी, पुत्री या संबंधीगण थी। सामान्य महिलाएं स्वाधीनता आंदोलन से या तो दूर रही या ऐसी अल्पज्ञात महिलाएं जिन्होने स्वतंत्रता संघर्ष में काफी कार्य किए परंतु ख्याति को प्राप्त न कर पाई और गुमनामी में ही रह गयी।

कुँजी शब्दः सिरमौर रियासत, सिरमौर प्रजामण्डल, पझौता आंदोलन, सिरमौर सुरक्षा अधिनियम, अहमदगढ़ शस्त्र डकैती।

भारत का इतिहास पग–पग नारी की अनुपम वीरता का व्याख्यान करता है। राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास मात्र पुरुषों की ही भागीदारी का इतिहास नहीं है, अपितु इसमें भारतीय महिलाओं का योगदान एक दिव्य ज्योति की तरह विद्यमान है। घर की चार–दीवारों के अन्दर रहने वाली भारतीय महिलाएं भी विद्रोहात्मक तरीके अपनाकर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध संघर्ष में पुरुषों के समान अपनी महत्वपूर्ण भूमिका समय–समय पर निभाती रही।[1] 19वीं0 तथा 20वीं0 शताब्दी में अनेक सामाजिक–धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने पर विशेष बल दिया। यही कारण था कि भारत में महिलाओं को इन आन्दोलनों से प्रेरणा मिली व संपूर्ण भारत के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर भी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना आरंभ किया व अपनी

निर्णायक भूमिका अदा की। इन सामाजिक सुधार आंदोलनों ने एक ऐसा वातावरण बना दिया जिसमें महात्मा गांधी ने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।[2]

गांधी के देशव्यापी राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रभाव पहाड़ी क्षेत्रों पर भी पड़ा। राष्ट्रीय नेताओं के शिमला पर्वतीय क्षेत्रों के आगमन तथा पर्वतीय सामाजिक संस्थाओं के कार्यों ने हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्र की प्रजा में जागृति ला दी। हिमाचली महिलाओं ने राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन तथा प्रजामण्डल आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया तथा देश को आज़ाद करवाने के लिए पहाड़ की वीरांगनाओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऊना के प्रसिद्ध देशभक्त लक्ष्मण दास की पत्नी दुर्गाबाई आर्य ने 1912 ई० में ऊना में आर्य महिला मण्डल का गठन किया। इस महिला मण्डल के माध्यम से उसने ऊना के ईद–गिर्द क्षेत्र की महिलाओं में जागृति लाने का कार्य किया। मण्डी रियासत की रानी ललिता कुमारी जिन्हें 'रानी खैरगढ़ी' के नाम से भी जाना जाता है, मण्ड़ी शहर में गदर पार्टी की क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया। शिमला में महात्मा गांधी की शिष्या राजकुमारी अमृतकौर ने शिमला पहाड़ी रियासतों के आंदोलनकारियों का मार्गदर्शन किया। ठियोग से मियां खड़क सिंह की पुत्री देववती ने भी स्त्री समाज में जागृति लाने के सराहनीय कार्य किये।[3]

कांगड़ा जिला के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी परसाराम की पत्नी सरला शर्मा, बाबा कांशीराम की भतीजी रामरखी और बद्राण की सुशीला इत्यादि महिलाओं ने कांगड़ा क्षेत्र में स्त्रियों में राजनितिक जागृति पैदा करने का कार्य किया। घर–घर जाकर स्त्रियों को राजनैतिक तथा राष्ट्रीय आंदोलन के जलसे–जुलूसों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।[4]

इसी प्रकार सिरमौर रियासत की वीरांगनाऐं भी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में नियमित तौर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती रही। जिनमें सुनहरों देवी, सकनो देवी, निर्मला शेरजंग, शंकरी देवी तथा एक हरिजन महिला आल्मो देवी आदि ने आज़ादी के लिए हुए विभिन्न आंदोलनों में बढ़–चढ़

कर भाग लिया। इसके अतिरिक्त नाहन नगर की चरखा एवं खादी संघ की सदस्या चंपा देवी, चन्द्रकला, शरण वर्मा, सुशीला वालिया, सत्या गुप्ता, सवित्री शर्मा, पुष्पा देवी, रमा देवी, शंकरी देवी तथा अमरा भटनागर आदि महिलाओं ने भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया। इन महिलाओं ने स्थानीय स्त्री समाज में जागृति लाने के भरसक प्रयास किये और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में बढ़चढ़ कर भाग लिया।[5] इस शोध पेपर के माध्यम से हम उन महिलाओं के जीवन से जुड़ी प्रमुख घटनाओं को उजागर करने जा रहे है जो उन्होने अपने जीवन के रहते भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए की थी। इन प्रमुख महिलाओं के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उनके जीवन परिचय के साथ साथ काफी महत्वपूर्ण भी है। जिनका वर्णन क्रमवार किया गया है।

सुनहरों देवी

सुनहरों देवी का जन्म कुल्थ गांव सिरमौर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल सिंह तथा माता का नाम मानो देवी था। इनके पांच भाई और चार बहनें थी। सुनहरों देवी पढ़ी–लिखी नहीं थी। खुद उच्च परिवार से संबंधित होने के बावजूद इनके मन में दलितों के लिए बहुत हमदर्दी थी। इनका विवाह वैद्य सूरत सिंह के साथ हुआ। इनके पति एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो पझौता आंदोलन के मुख्य नायक थे।[6] इन्होंने आयुर्वेदाचार्य शिक्षा ग्रहण कर अपने घर में औषधालय खोला था। इसी दौरान सिरमौर प्रजामण्डल की गतिविधियां शुरू हो गई थी। चौधरी शेरजंग ने पझौता क्षेत्र का 1938 ई० में दौरा किया तथा प्रजामण्डल की सभाओं का आयोजन किया। वैद्य सूरत सिंह भी अपनी पत्नी सुनहरों देवी के साथ इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गये।[7] शीघ्र ही ये रियासत की आंखों का

कांटा बन गये और सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी कर दिया। सूरत सिंह और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। सुनहरों देवी ने भी एक सह–धर्मिणी का कर्तव्य निभाया और वह भी गिरफ्तारी देने वाले जत्थे में शामिल हो गई।[8] बहुत मना करने के बावजूद भी सुनहरों देवी अपने अढ़ाई वर्ष के पुत्र को घर में छोड़कर स्वयं गिरफ्तारी देने के लिए चल पड़ी। उन्होंने रियासती शासन के विरुद्ध नारेबाजी की और गिरफ्तारी देने के लिए हठ करती रही, परन्तु सुनहरों देवी को गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी न हाने पर वह अकेली भूखी प्यासी सराहन से पच्चीस मील का सफर तय कर अपने गांव वापस आ गयी।[9] सूरत सिंह को ग्यारह दिन तक हवालात में रखने के पश्चात् रियासती सरकार ने केस वापस लेकर छोड़ दिया। जेल से रिहा होने के बाद सुनहरों देवी अपने पति सूरत सिंह के साथ मुजफरनगर चली गयी। वहां उन्होने एक औषधालय खोला साथ ही स्वतंत्रता की गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। परन्तु दुर्भाग्य से एक विवाह में छत का कोना टूटने की दुर्घटना में अपने पुत्र को गंवा कर दोनों सूरत सिंह तथा सुनहरों देवी पुनः घर आ गए और यहां कुछ समय रहने के पश्चात् सुनहरों देवी और पति सूरत सिंह ने पझौता आंदोलन का संचालन अपने हाथ में ले लिया। जब कर्नल बाम ने मार्शल लॉ लागू किया और सेना ने सूरत सिंह के मकान को बारूद लगा कर ध्वस्त कर दिया तो ऐसी विकट स्थिति में ही उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और न ही अपने उद्देश्य से पीछे हटे। सुनहरों देवी ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने पति का पूरा सहयोग दिया। स्थानीय जनता को जागृत करने तथा स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल होने के लिए जनता को प्रोत्साहित करती रही।सूरत सिंह को पझौता आंदोलन में सक्रियता के कारण 1943 ई० में कारावास की सजा हुई तब सुनहरों देवी ने अकेले ही पूरे परिवार को संभाला।[10]

26 सितम्बर, 1958 ई० को सुनहरों देवी इस संसार को छोड़कर चली गयी। उनकी मृत्यु पर पति वैद्य सूरत सिंह द्वारा व्यक्त श्रद्धांजलि स्वरूप पंक्तियां:

प्राणेश्वरी सुनहरों तुम चली गई, हम से सदा के लिए बिछुड़कर। सजीव–निर्जीव शरीरों की यह अंतिम भेंट है। कितना विडम्बनापूर्ण है यह आज का सवेरा। कितनी निष्ठुरता भरी पड़ी है इसके काल अन्तराल में उफ.... जीवन एक विचित्र गुत्थी, जो सुलझाए बनती न उलझाए, जिसमें दैवेच्छा का मुँह ताके बगैर दूसरा कोई चारा ही नहीं है। जीवन की इस देहली पर से मौत का आलिंगन करने के लिए, संसार में आए प्रत्येक प्राणी को एक –एक करके अवश्य गुजरना होता है। सुनहरों! इस न्यायकारी, सर्वोपरि शक्ति जिसे संसार भगवान आदि असख्य नामों से जानता पुकारता है, के अटल आदशों का पालन प्राणिमात्र ही नहीं प्रकृति के लिए भी अनिवार्य है। प्रिये! अब तुम्हें दोबारा देखने की लालसा सचमुच ही एक अदृश्य और अप्राप्य स्वप्न बनकर रह गई है। किंकर्तव्य विमूढ़ता की इस पराकाष्ठा में भी न जाने क्यों, एक बात स्पष्ट रूप से जान रहा हूँ कि तुम एक अनदेखे और अनजाने संसार में नितान्त नए जीवन का आरंभ करने जा रही हो, जबकि हम, तुम्हारे अपने और अपने को जीवित समझने वाले मूढ़ प्राणी अभी लगातार जीवन को दुःखदार 'अन्त' की ओर अग्रसर है। सच्चे मानवीय जीवन के वास्तविक व सुन्दर सुखदतम अन्त यही है। सुनहरो, जो तुम्हें नसीब हुआ है। अपने सदविचारों के प्रति अनगिनत मावन ह्रदयों में स्नेहिल आकर्षण के साथ प्रयाण। काश! कि मेरी वाणी इतनी सश्क्त व समर्थ होती कि तुम्हें इससे भी सुन्दरतम जीवन शुभारम्भ करने के लिए शुभकामनाओं के साथ विदा दे सकता, फिर भी विश्वास है कि अन्तर्यामी प्रभु मेरी मूकभाषा अवश्य समझेंगे और तुम्हें भी समझांएगे।[11]

उपर्युक्त पंक्तियां सूरत सिंह के मनोभाव थे जो उनकी पत्नी सुनहरों देवी के मृत्युशया के समय पर उनके मन में उभरे थे। वैद्य सूरत सिंह इस सत्य को स्वीकारते हैं कि संसार जन्म–मरण का चक्रव्यूह है। सूरत सिंह सुनहरों देवी से कभी न मिल पाने का दुःख प्रकट करते हैं और साथ ही सुनहरों देवी को दूसरे संसार में जीवन आरंभ करने की शुभकामनाएं भी देते हैं।

आल्मो देवी

आल्मो देवी प्रजामंडल आन्दोलन की एक सक्रिय सदस्या थी। इन्होनें देश की आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। आल्मो देवी का विवाह शिलीसेर के माठा राम से हुआ था। आल्मो देवी के पति माठा राम भी एक सक्रिय सिरमौर प्रजामण्डल के सदस्य थे।[12] सैशन कोर्ट नाहन द्वारा इनके पति माठा राम को प्रजामंडल आंदोलन में सक्रियता के कारण पांच वर्ष कारावास की सजा दी गई थी परन्तु ट्रिब्यूनल कोर्ट ने चौदह महीने की सुनवाई के बाद माठा राम और चौदह अन्य

आंदोलनकारियों को रिहा कर दिया था।[13] आल्मो देवी ने ब्रिटिश सरकार और रियासती शासकों दोनों के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया। 1939 ई० में जब धारा 353 के अन्तर्गत सिरमौर प्रजामण्डल के सदस्यों की गिरफ्तारी के वारंट निकाले गए तो आल्मो देवी भी गिरफ्तारी देने वाले पहले जत्थे में शामिल हो गई। वैद्य सूरत सिंह की पत्नी सुनहरों देवी के साथ गिरफ्तारी देने के लिए सराहन जेल गई, परन्तु आल्मो देवी को गिरफ्तार नहीं किया गया। दोनों महिलाओं ने तहसील सराहां के कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। दोनों महिलाओं के साथ सराहां के तहसीलदार दुर्गाराम ने भी सरकार के विरुद्ध नारे लगाये।[14]आल्मो देवी की आंदोलन में सक्रियता के कारण इलाहाबाद हाइकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज गौरी प्रसाद ने ट्रिब्यूनल नाहन से आल्मो देवी को ड़ेढ वर्ष काले पानी की सजा सनाई गई परन्तु पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त न होने के कारण आल्मो देवी को सजा हुई या रिहा कर दिया गया इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है।[15]

आल्मो देवी दलित जाति से संबंध रखती थी। इन्होंने दलितों के कल्याण के लिए सदैव अपना योगदान दिया। 105 वर्ष की आयु में बाझुन गांव तहसील राजगढ़ सिरमौर में 10 दिसंबर, 2011 को आल्मो देवी का देहान्त हो गया। उनकी कोई सन्तान नहीं थी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक वह काफी दिनों से अस्वस्थ थी। अतः भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आल्मो देवी का योगदान स्मरणीय है। यह हिमाचल तथा सिरमौर के लिए गर्व की बात है कि आल्मो देवी जैसी वीरांगनाओं ने भारत स्वंतत्रता संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।[16]

सकनो देवी

देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौच्छावर करने वाले गुमनाम नायकों का जब भी जिक्र होगा तो सकनो देवी को जरूर याद किया जाएगा। सकनो देवी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाई। सकनो देवी का जन्म गांव कूफर जिला सिरमौर में हुआ था। इनके दो भाई

राइया तथा नारायण सिंह थे। सकनो देवी अनपढ़ होने के बावजूद भी एक उच्च विचार रखने वाली महिला थी। इनका विवाह नौहराधार निवासी ठाकुर रूप सिंह थमडेट से हुआ था, जो नम्बरदार परिवार से संबंधित थे। रूप सिंह ठाकुर भी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, वह नौहराधार में प्रजामंडल आंदोलन के मुख्य नायक थे। सिरमौर प्रजामण्डल के नेताओं ने रियासती प्रशासन के दमनचक्र से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन में तीव्रता लाई तो रूपसिंह तथा उसकी पत्नी सकनो देवी प्रजामण्डल आंदोलन में सम्मिलित हो गये। सकनो देवी अपने पति रूप सिंह के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्रजामण्डल आंदोलन की नीतियों, कार्यक्रमों का प्रचार करती और स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने के लिए लोगों को जागरुक करने का भी प्रयास करती थी।[17]

प्रजामण्डल के नेता जब भी स्वंतत्रता संग्राम के प्रचार के लिए नौहराधार क्षेत्र में आते तो वे रूप सिंह थमडेट के निवास में ठहरते थे। एक प्रकार से रूप सिंह का मकान आंदोलनकारियों की गतिविधियों का कार्यालय बन गया। सकनो देवी स्वयं कार्यकताओं के भोजन की व्यवस्था करती थी।

नौहराधार में एकमात्र रूप सिंह थमडेट का आवास था जिनमें आजादी के झण्डे लगे होते थे। राजा राजेन्द्र प्रकाश ने 1947 ई० को आदेश दिया की रूप सिंह अपने आवास पर झण्डा न लगाये, परन्तु रूप सिंह तथा सकनो देवी ने इस आदेश की कोई पालन नहीं की। सकनो देवी अपने पति रूप सिंह के साथ स्वतंत्रता संग्राम तथा प्रजामण्डल आंदोलन का प्रचार गांव–गांव में करती थी और प्रजामण्डल आंदोलन के इश्तिहार को लोगों में बांटा करती।[18] स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी के कारण इनको सरकारी दमन की परेशानियां भी सहनी पड़ी। इसी कड़ी में सकनो देवी के पति रूप सिंह को थाना रेणुका की पुलिस ने गांव नौहराधार से बांधकर रेणुका के ददाहू ले जाया गया। उन पर पब्लिक सेफ्टी ओर्डीनेंस की धारा का उल्लंघल करने का झूठा अभियोग चलाया गया तथा उन्हें उन्नीस□महीने की सजा दी गई थी।[19] सकनो देवी बहुत साहसी महिला थी। उन्होंने धैर्य नहीं खोया।

सकनो देवी स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी पूर्व की ही तरह सक्रिय भूमिका निभाती रही। रूप सिंह थमडेट की 92 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। इनकी कोई सन्तान नहीं थी। अतः पति की मृत्यु के पश्चात सकनो देवी नौहराधार के निकट□गांव उलाना में अपने संबंधियों के साथ रहने लगी तथा अपने देहान्त 1991 ई० तक सकनों देवी वहीं रही। स्वतंत्रता संघर्ष में सकनो देवी का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।[20]

निर्मला शेरजंग

निर्मला शेरजंग का जन्म 1914 ई० में लाहौर में हुआ। उन्होंने लाहौर के किन्नेयर्ड महिला कॉलेज से पढ़ाई की थी। निर्मला शेरजंग एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ– साथ इंद्रप्रस्थ कॉलेज, दिल्ली की पूर्व उप–प्राचार्य भी थी। 1987 ई० में वह दिल्ली लीगल सेल की एक काउंसलर भी बनी। अपनी मृत्यु तक निर्मला शेरजंग ने यहां अपराधी बच्चों के लिए सक्रिय रूप से समर्थन किया और परामर्श कार्य करने के लिए शहर के रिमाण्ड् होम में लगातार आंगतुक रही। निर्मला शेरजंग की जीवनी में इन्द्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एक प्रस्तावना में याद करते हैं कि कैसे वह निर्मला शेरजंग के साथ लाहौर जेल में बंद चौधरी शेरजंग से मिले थे। निर्मला शेरजंग, चौधरी शेरजंग से तब मिली जब वह प्रसिद्ध अहमदगढ़ शस्त्र डकैती मामले के पश्चात् जेल की सजा काट रहे थे।[21] जब वह कारावास की सजा काट कर जेल से बाहर आये तो चौधरी शेरजंग ने 12 मई, 1938 ई० को निर्मला से विवाह कर दिया। इसके बाद यह दोनों प्रजामण्डल आंदोलन को सक्रिय करने के लिए सिरमौर आये तथा इन्होंने प्रजामण्डल के प्रचार करने के साथ– साथ भारी जन–सभाएं भी की।[22] शेरजंग पच्छाद गए, जहां से 1 जुलाई, 1938 को उन्होंने और निर्मला शेरजंग ने लाहौर के ट्रिब्यून अखबार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जंग बहादुर सिंह को एक पत्र लिखा। परन्तु ये पत्र लाहौर के एम०ए० अब्दुल्ला जो एक अपराध जांच विभाग अधिकारी था ने गुप्त रूप से बीच में ही रोक दिया और इसे

राजनीतिक विभाग को भेज दिया। इस पत्र में अन्य बातों के साथ–साथ उल्लेख किया गया था कि यहां के मामले बहुत दुःखद हैं। हम सिरमौर प्रशासन के खिलाफ एक आंदोलन का आयोजन करना चाहते हैं और इसके लिए हमने इलाकों में दौरा करना शुरू कर दिया हे। हम आज राजगढ़ पहुंच चुके हैं। हम प्रजामण्डल की शाखाओं का आयोजन कर रहे हैं। फिर शेरजंग ने सराहां और कई गांवों का दौरा किया जिनमें मानगढ़, नौहरा, सोरढ़ा–देहड़ी, झंगन आदि भी शामिल थे। हर गांव में प्रजामण्डल की एक शाखा स्थापित की गयी थी। लोगों में बहुत उत्साह था। करों की कमरतोड़ अंधाधुंध और अनिवार्य चन्दा एवं जुर्माने ने जनता को प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग चौधरी शेरजंग की जेल से वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि उन्हें आन्दोलन के लिए मार्गदर्शन मिल सके।[23] चौधरी शेरजंग के सिरमौर छोडने़ के बाद भी निर्मला शेरजंग तथा चौधरी शेरजंग स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी देते रहे। 1947 ई० में विभाजन के बाद निर्मला शेरजंग अपने पति के साथ दिल्ली के किंग्सवे कैंप में हिन्दू और सिक्ख शरणार्थियों के पुर्नवास□में अग्रणी कार्य में शामिल□हो गयी। उन्होंने संकट□में पड़े मुसलमानों को आश्रय दिया और उन्हें अपने घर पर सुरक्षा भी प्रदान की। इसके अलावा निर्मला शेरजंग 1938 ई० से इन्द्रप्रस्थ कॉलेज में अध्यापन का कार्य आ रही थी। इसके अलावा निर्मला शेरजंग ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कानून विषय को भी पढ़ाया। विख्यात निशानेबाज समशेरजंग निर्मला शेरजंग के पौत्र है। अर्न्तराष्ट्रीय निशानेबाजी में समशेरजंग ने मैनचेस्टर में हुए 2002 के राष्ट्रमंडल खेलों में हिन्दूस्तान का परचम लहराया है। 27 जनवरी, 2007 को निर्मला शेरजंग का दिल्ली में देहान्त हो गया।[24]

अतः में कहा जा सकता है कि सिरमौर रियासत की महिलाओं ने स्वाधीनता संघर्ष में बराबर पुरूषों के साथ चल कर बराबर की हिस्सेदारी निभाई। इन महिलाओं द्वारा स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग, प्रार्थना सभाओं का संचालन शराब की दुकानों पर धरने, नमक सत्याग्रह आदि विभिन्न गतिविधियों में

अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ये महिलाएं न केवल पुरुषों की प्रेरणा का स्त्रोत रही बल्कि साथ ही उनकी अनुपस्थिति में घर– परिवार भी संभाला। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी संख्या कम थी। यह एक विचारणीय विषय है कि चर्चित महिलाओ में भी अधिकतर या तो किसी क्रांतिकारी की पत्नी, पुत्री व संबंधीगण थी। इसकी कई वजह हो सकती है जिसमें एक ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियां भी हो सकती है जिसके डर से महिलाएं स्वाधीनता संघर्ष में शामिल नहीं हुई। इसके अलावा गांधी ने भी यह स्पष्ट शब्दों में कहा था कि महिलाएं किसी भी आंदोलन या क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने से पूर्व अपने परिवार की अनुमति ले। परिवार की अनुमति लेने वाले गांधी के विचार के कारण ज्यादातर महिलाएं स्वाधीनता आंदोलन व क्रांतिकारी गतिविधियों से या तो दूर रही या ऐसी कई अल्पज्ञात महिलाएं जिन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में काफी कार्य किए किन्तु ख्याति प्राप्त न कर सकी और गुमनामी में ही रह गयी।

सन्दर्भ सूची और टिप्पणियां

1 राधा कुमुद मुखर्जी, *हिन्दू सिविलाइजेशन,* राजकमल पब्लिकेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, 2015, पृ० 73 ।
2 के०सी० विद्या, *पॉलिटिक्स इम्वपावरमेंट ऑफ वुमैन एट द ग्रासरूट लैवल,* कनिष्क पब्लिशर्ज, नई दिल्ली, 1997, पृ० 1–4 ।
3 हरवंश गर्ग, *हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम का संक्षिप्त इतिहास,* भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिमला, 1992, पृ० 71 ।
4 सी०आर० प्रेम, *कांगड़ा के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, स्मृतियां,* भाषा एवं संस्कृति विभाग, 1989, पृ० 71 ।
5 हरवंश गर्ग, *पूर्वोक्त,* पृ० 172 ।
6 साक्षात्कारः जय प्रकाश चौहान, पुत्र सुनहरो देवी, गांव हाब्बण, तहसील राजगढ़ जिला सिरमौर।
7 सूरत सिंह वैद्य, *पझौता आंदोलन,* सोमसी पत्रिका, 1976, पृ० 1–7 ।
8 प्रेम शर्मा, *स्वाधीनता का संकल्प,* भाषा एवं संस्कृति विभाग, शिमला, 2005, पृ० 6–10 ।

9 साक्षात्कारः जय प्रकान चौहान, पुत्र□सुनहरो देवी, गांव हाब्बण, तहसील□ राजगढ़, जिला सिरमौर।
10 वही।
11 ओम प्रकाश राही, *हिमाचल के स्वतंत्रता सेनानी वैद्य सूरत सिंह,* हिमाचल अकादमी, शिमला, 2004, पृ० 21, 66, 67 ।
12 साक्षात्कारः जय प्रकाश चौहान, पुत्र□सुनहरो देवी, गांव हाब्बण, तहसील□ राजगढ़, जिला सिरमौर।
13 लेटेस्ट न्यूज और स्टोरी ऑन आल्मो देवी, जी न्यूज, 11 सितंबर, 2011 ।
14 सूरत सिंह वैद्य, सं० प्रेम लाल गौतम व जय प्रकाश चौहान, *पझौता आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के परिप्रेक्ष्य में,* देशभारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020, पृ० 28–29 ।
15 सी०आर०बी० ललित, *स्वाधीनता की ओर,* भाषा और संस्कृति विभाग, शिमला, 1993, पृ० 51 ।
16 टाइमस ऑफ इंडिया, टाइमस न्यूज नेटवर्क, 12 सितंबर, 2011 ।
17 संपर्कः कपिल सिंह, गांव उलाना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर।
18 संपर्कः इन्द्र सिंह, गांव कुफर, जिला सिरमौर।
19 प्रेम शर्मा, *पूर्वोक्त,* पृ० 27। सिरमौर सुरक्षा कानून 1947 प्रजामण्डल आंदोलनकारियों की गतिविधियों को देखते हुए सिरमौर राजा राजेन्द्र प्रकाश ने सिरमौर रियासत में धारा 144 लागू कर दी। इसके अंतर्गत सरकार बिना किसी जुर्म के संदेह की दृष्टि से किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी।
20 संपर्कः कपिल सिंह, गांव उलाना, तहसील नौहराधार, जिला सिरमौर।
21 स्वतंत्रता सेनानी निर्मला शेरजंग, वन इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2007 ।
22 द ट्रिब्यून– शेरजंग– द लॉयन ऑफ हिमाचल प्रदेश, आरटिकल इन द ट्रिब्यून हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2015 ।
23 सी०एल० दता, *द राज एण्ड द शिमला हिल स्टेटस,* ए०बी०एस० पब्लिकेशन, जालंधर, 1997, पृ० 306 ।
24 द ट्रिब्यून, शेरजंग – द लॉयन ऑफ हिमाचल प्रदेश, 19 जनवरी, 2015 । दिल्ली किरंसवे कैंप में हिंदू और सिक्ख शरणार्थियों के पुर्नवास की व्यवस्था की जाती थी।